

40

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-9/अल०-05-03/03

8320782000

पटना, दिनांक
21-7-11

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

निबंधित

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य उच्च पथ सहित)।

विषय:- पथ निर्माण विभाग में बिटुमेन आपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में।

प्रसंग:- पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-7897 (S) दिनांक 03.07.2007 द्वारा निर्गत संकल्प।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से बिटुमेन आपूर्ति की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

उक्त प्रासंगिक संकल्प की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निदेश दिया जाता है कि:-

- (i) बिटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को क्रय व दस्तावेजी प्रमाण-पत्र के साथ सूचना देना होगा।
- (ii) कार्यपालक अभियंता दस्तावेजी प्रमाण पत्र (इनवायस इत्यादि) की शुद्धता की जाँच अपर स्तर से करायेगें एवं तदनुसार ही अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) व्यवहार के पूर्व बिटुमेन की गुणवत्ता की जाँच निश्चित रूप से की जाएगी तथा नियमानुसार जाँच प्रतिवेदन संधारित किया जायेगा।
- (iv) एकरारनामावार/कार्यवार प्राप्त बिटुमेन के इनवायस की पूर्ण सूचना विहित प्रपत्र संलग्न रजिस्टर में संधारित किया जाएगा तथा संबंधित कार्य के विपत्रों के भुगतान के समय व्यवहार बिटुमेन का लेखा मिलान अवश्य किया जायेगा।
- (v) बल्क बिटुमेन के मामले में टैंकर आते ही तुरन्त इसकी सूचना कार्यपालक आँ दिया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा गुणवत्ता की जाँच करने के उपरान्त ही संवेदक भण्डारण एवं उपयोग करेंगे। प्राप्त बल्क बिटुमेन का उपयोग अधिकतम एक माह के अन्दर कि है। भण्डारित बल्क बिटुमेन के उपयोग के पूर्व पुनः उसका गुण नियंत्रण जाँच किया ज Specification के अनुरूप पाये जाने पर ही उसके उपयोग की अनुमति दिए जाने की कार्रवाई की

5/6, 29

(vi) तेल कम्पनियोंद्वारा निर्गत बिटुमेन आपूर्ति विवरणी की जांच अपने स्तर से करते हुए तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(vii) उक्त प्रासंगिक संकल्प की अन्य सभी कंडिकाओं का भी दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापक-9/अल०-05-03/03

8320CS

पटना, दिनांक 21-7-11

प्रतिलिपि- सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रत्यय अमृत)
सचिव
21/7/11